"आदेश"

सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून के पत्र संख्या 73 दिनांक 03 मई 2017 के द्वारा कृषि विभाग के अर्न्तगत सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3 (विकास शाखा) के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन सूची प्रेषित की गयी है। चयन सूची के आधार पर निम्न अभ्यर्थियो को कृषि विभाग के अर्न्तगत सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–3 (विकास शाखा) वेतन बैंड 5200–20200 ग्रेड वेतन 2400 **पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स 25500–81100 लेवल–4** में तथा समय–समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता सहित उनके द्वारा किये गये योगदान की तिथि से अस्थाई रूप मे नियुक्ति प्रदान की जाती है, तथा उन्हें उनके नाम के सम्मुख अंकित अधिकारियो के अधीन तैनात किया जाता है। यह नियुक्ति पूर्णत: अस्थाई है, तथा किसी भी समय एक माह के नोटिस पर बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है। यह नियुक्ति दो वर्ष के लिये परिवीक्षा अवधि के अधीन रहेगी।

इन अभ्यर्थियो की वर्ग–3 के पद पर पारिस्परिक ज्येष्ठता सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के द्वारा प्रेषित चयन सूची के अनुसार ही अलग से निर्धारित की जायेगी। योगदान करते समय अभ्यर्थियो को निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की दशा मे योगदान कराया जाना सम्भव नहीं होगा।

(1) रू0 5000.00 (पांच हजार रू0) की नगद धनराशि अथवा 5000.00 रू0 का राष्ट्रीय बचत पत्र जमानत के रूप मे सम्बन्धित कर्यालय मे जमा करने होगे।

(2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र मे स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र।

(3) शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्रो की प्रमाणित प्रति।

(4) सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनु0जाति/अनु0ज0जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र।

(5) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा जिसका वह स्वामी हो।

(6) विवाहित तथा एक ही जावित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र।

(7) दो राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा मे हो किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र।

अत: अभ्यर्थी उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों सहित आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 माह के अर्न्तगत अपनी योगदान सूचना सम्बन्धित अधिकारी के सम्मुख स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। यदि निर्धारत समय के अर्न्तगत योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं की जाती है तो यह नियुक्ति आदेश स्वत: ही रद्द समझा जायेगा तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी को पुन: नियुक्ति का अवसर नही दिया जायेगा। योगदान करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

क्र0 स0	चयन सूची क्रमॉक	अभ्यर्थी का नाम व पता	अधिष्ठान का नाम जहाँ तैनाती की गयी है।
1	2	3	4
1	59	रेनू रौतेला, पुत्री श्री फल सिंह रौतेला पवन विहार कालोनी, नियर दौला रोड, पोस्ट–विण, जिला–पिथौरागढ, उत्तराखण्ड (पिनकोड–262501)	मुख्य कृषि अधिकारी पिथौरागढ

सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग–3 में चयनित अभ्यर्थियों के उक्त नियुक्ति आदेश को विभागीय बेबसाइट www.agriculture.uk.gov.in पर भी प्रकाशित कर दिया गया है।

ह0/–
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून

पत्रांक–कृ0नि0/ 3254 /स्था0/वर्ग–3 /नियुक्ति/2017–18/दिनांक 01-8-2017

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित अभ्यर्थी (पंजीकृत)।
2. मुख्य कृषि अधिकारी पिथौरागढ को इस निर्देश के साथ, कि वह उक्तानुसार अपने जनपद हेतु चयनित अभ्यर्थी की तैनाती नियमानुसार सिंगल विण्डो व्यवस्था के अर्न्तगत अपने स्तर से करना सुनिश्चित करे।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
4. समस्त जिला सेवायोजन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी।
6. संयुक्त कृषि निदेशक कुमायूँ मण्डल हल्द्वानी।
7. अपर कृषि निदेशक गढवाल मण्डल पौडी।
8. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राज्य निर्वाचन आयोग परिसर, लाडपुर रिंग रोड देहरादून।
9. सम्बन्धित अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पत्रावली में चस्पा हेतु।
10. गार्ड पत्रावली।

1/8/17

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

पृष्ठॉकन संख्या /उक्त/तद् दिनॉक।

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव (कृषि) उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।